न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2019
Rcms reg. No. 2019/00031

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री अजीजुद्दीन उर्फ अजीत पिता श्री बदरूद्दीन शेख निवासी अंबावाडी छतरीपाडा, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा ।

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 30–12–2019

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री अजीजुद्दीन उर्फ अजीत पिता श्री बदरूद्दीन शेख निवासी अंबावाडी छतरीपाडा, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. प्रथम सूचना क्रमांक 134/14 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री अजीजुद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय एजेएम बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 26–04–2014 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 705/14 से 100/– रूपया अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
2. प्रथम सूचना क्रमांक 273/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री अजीजुद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय एजेएम बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 20–07–2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 198/18 से 100/– रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 492/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री अजीजुद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय एजेएम बांसवाड़ा में प्रस्तुत किया गया, जो लम्बित है।
4. प्रथम सूचना क्रमांक 520/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री अजीजुद्दीन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय एजेएम बांसवाड़ा में प्रस्तुत किया गया, जो लम्बित है।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

3- इस प्रकार गैरसायल श्री अजीजुद्दीन उर्फ अजीत पिता श्री बदरूद्दीन शेख निवासी अंबावाडी छतरीपाडा, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकडे जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 4 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्व ठहराया जाकर दो बार जुर्माने से दण्डित हुआ है, 2 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के

विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

4- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

5- गैरसायल की और से अभिभाषक मो. शमीम खान द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 17–12–2019 को बहस सुनी गई। प्रकरण में गैरसायल की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि :–

1. गैरसायल किसी गैंग का सदस्य या नेता नहीं है, ना ही आदतन आरोपी है, ना किसी अपराध को करने के लिए अन्य लोगों को दुष्प्रेरित करता है। ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, जिससे किसी को क्षति पहुंचाई हो, लुटपाट की हो या छिना झपटी की हो। इस कारण गैरसायल के विरूद्ध अभियोजन नही चलाया जा सकता है।
2. गैरसायल गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 3 की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि गैरसायल ने कोई भी मारपीट, लूटपाट, छिना–झपटी गाली–गलौच आदि का कोई कृत्य नहीं किया है ना ही किसी को नुकसान पहूंचाया है। उक्तानुसार जो अपराध दर्शाये गये हैं, उनमें उसे स्वतंत्र रहने से कोई जनहानि नहीं हो सकती है तथा समाज को कोई अशान्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। उक्त प्रकरणों में झुठा फंसाया गया है।
3. गैरसायल के विरूद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकर किया। गैर सायल के विरूद्ध जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 4 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्व ठहराया जाकर दो बार जुर्माने से दण्डित हुआ है, 2 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् गैरसायल श्री अजीजुद्दीन उर्फ अजीत पिता श्री बदरूद्दीन शेख निवासी अंबावाडी छतरीपाडा, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा को बांसवाड़ा तहसील क्षैत्र से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में बांसवाड़ा तहसील क्षैत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, छोटी सरवन में निवास करेगा एवं थानाधिकारी दानपुर को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करायें। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30–12–2019 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण तहसील क्षैत्र, बांसवाड़ा में स्थित किसी माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 11:41:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: